न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक

(श्री सुभाषचन्द शर्मा, आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

प्रा0पत्र संख्या :— 40/2014

निर्णय दिनांक:— 29.2.2016

अंजुमन वक्फ कमेटी उनियारा जिला टोंक राजस्थान जरिये तसलीम अहमद (सैकेट्री) जिला टोंक

उनवान

– प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार, तहसील उनियारा मुकाम अलीगढ जिला टोंक

–प्रतिपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज. भु–राजस्व अधिनियम

उपस्थितः– सच्चिदानन्द शर्मा वकील प्रार्थी

पेरोकार सरकार नायब तहसीलदार उनियारा

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार है।

यह कि कस्बा उनियारा मे मुस्लिम समुदाय को तत्कालीन ठिकाना उनियारा के द्वारा साबिक ख0न0 1074 रकबा 7 बीघा 16 बिस्वा, ख0न0 2218 रकबा 1 बीघा , ख0न0 1331/1 रकबा 8 बीघा 19 बिस्वा, ख0न0 1551/1/1 रकबा 5 बीघा 7 बिस्व कुल किता 4 कुल रकबा 23 बीघा 2 बिस्वा कब्रिस्तान हेतु दान दी गई थी। जिसका नामान्तरकरण संख्या 303 दि0 13.6.1967 द्वारा कब्रिस्तान भूमि के रूप मे खोल दिया गया था। उक्त आराजीयात मुस्लिम विभाग की सम्पत्ति है, जिसका प्रकाशन राजस्थान राजपत्र 1965 मे किया गया है तथा उक्त खसरा नं0 को वक्फ बोर्ड की सम्पत्ति माना गया है। उक्त साबिका नं0 के हाल ख0न0 1707 रकबा 0.99, 1980 रकबा 0.33, 3079 रकबा 0.53, 1096 रकबा 0.42, 1101 रकबा 0.88, 1102 रकबा 0.14 कुल किता 6 कुल रकबा 3.29 है0 बनाये गये है। कस्बा उनियारा मे उक्त भूमि खातोली दरवाजा, भूतेश्वर दरवाजा, ककोड दरवाजा व टोंक रोड पर कब्रिस्तान के रूप मे स्थित है। जिनका उपयोग व उपभोग विगत 50 वर्षो से मुस्लिम समाज कब्रिस्तान के रूप मे करता आ रहा है। उक्त भूमि का नामान्तरकरण भरने के बाद राजस्व रेकार्ड मे कब्रिस्तान के रूप मे अमल दरामद करना चाहिये था परन्तु राजस्व रेकार्ड मे नामान्तरकरण भर जाने के उपरान्त भी कब्रिस्तान के रूप मे आज तक अमल दरामद नहीं किया है। जिसमे से हाल ख0न0 1707 की इजरा न्यायालय ए0सी0जे0एम0 उनियारा मे विचाराधीन है तथा ख0न0 1101 रकबा 0.88 है0 को वर्तमान मे वक्फ बोर्ड मे दर्ज कर दिया गया है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि उक्त त्रुटी को दुरूस्त कर ख0न0 1980 रकबा 0.33, 3079 रकबा 0.53, 1096 रकबा 0.42 , 1102 रकबा 0.14 है0 के रकबे को पूर्व के हिसाब से सही कर तथा उक्त भूमि को राजस्व रेकार्ड मे नामान्तरकरण संख्या 303 दिनांक 13.6.67 के अनुरूप अमल दरामद करवाने की कृपा करे।

उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर तहसीलदार उनियारा से रिपोर्ट तलब की गई। मुताबिक रिपोर्ट ख0न0 980 रकबा 0.33 गे0मु0 रास्ता नगर पालिका उनियारा के खाते मे है तथा मोके पर रास्ता है। ख0न0 3079 रकबा 0.53, 1096 रकबा 0.42, 1102 रकबा 0.14 राजस्व रेकार्ड मे सिवायचक दर्ज है।

हमने उभय पक्षों की ब्रहस सुनी गई। बहस पर गौर किया गया एवं पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। नकल नामान्तरकरण संख्या 303 दिनांक 13.6.67 के द्वारा साबिक ख0न0 1074 रकबा 7 बीघा 16 बिस्वा, ख0न0 2218 रकबा 1 बीघा , ख0न0 1331/1 रकबा 8 बीघा 14 बिस्वा, ख0न0 1551/1/1 रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा कुल किता 4 कुल

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा जिला टोंक

Scanned by CamScanner

रकबा 23 बीघा 2 बिस्वा कब्रिस्तान क नाम स्वीकार हुआ है। जिसका अंकन जमाबन्दी सम्वत 2022 से 2025 वाके ग्राम उनियारा मे दर्ज है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2034–2037 वाके ग्राम उनियारा मे ख0न0 2218 रकबा 1 बीघा , ख0न0 1331/1 रकबा 8 बीघा 14 बिस्वा, ख0न0 1551/1/1 रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा कब्रिस्तान के नाम दर्ज है। ख0न0 1980 रकबा 0.33 नगर पालिका उनियारा के नाम दर्ज है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2068–2071 वाके ग्राम उनियारा मे हाल ख0न0 096/0.42, 1102/0.14 व 3079/0.53 सिवायचक काबिल काश्त दर्ज है। ख0न0 1101 रकबा 0.88 ना0स0 1832 दिनांक 20.10.2013 के द्वारा वक्फ बोर्ड के नाम दर्ज हुआ है। प्रार्थी के द्वारा साबिक आराजी ख0न0 1331 रकबा 8 बीघा 14 बिस्वा का सम्पूर्ण मिलान क्षैत्रफल प्रस्तुत नही किया गया है। हाल आराजी ख0न0 1980 रकबा 0.33 नगर पालिका उनियारा के नाम दर्ज है। प्रार्थी ने नगर पालिका को भी पक्षकार नही बनाया गया है। प्रार्थी के द्वारा उदघोषणा एवं दुरूस्ती इन्द्राजात का वाद प्रस्तुत करना चाहिये था। उक्त प्रकरण भू राजस्व अधिनियम धारा 136 मे बनना नही पाया जाता है।

उपरोक्त विवेचन से न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित नही समझता है। अतः प्रार्थी का प्रा0 पत्र खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 29.2.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सुभाषचन्द शर्मा
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी उनियारा

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा जिला टोंक

Scanned by CamScanner